

कुं

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

172/2024/223

नोरती व/स मूलचंद

| तारीख | २०२४/१७२ | हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए |
|--------|--|---------------------------------|---|
| पेशी | श्री SP डॉलर | श्री मनीष खण्डवालकर - 1 | |
| 7/5/25 | <p>नोरती बनाम मूलचंद वगैरह (2024/172) पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोंडेंट संख्या 01 उपस्थित। अभिभाषक उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 जा0दी0 पर सुना गया। अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 जा0दी0 पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र तथा अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 जा0दी0 अन्दर मियाद प्रस्तुत किया है तथा मृतक के वारिसान को मृतक का राईट टू स्यू सरवाई करता है अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 जा0दी0 स्वीकार किया जाता है तथा नौरती का नाम तर्क कर उसके विधिक वारिसान क्रमशः 1/1 सत्यनारायण पुत्र रामदेव, 1/2 सवित्री पुत्री रामदेव, 1/3 गायत्री पुत्री रामदेव, 1/4 रामदेव पुत्र छोगालाल पति नौरती को बतौर अपीलांट रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तत्पश्चात अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र बाबत अपील विज्ञो फरमाये जाने बाबत पर निवेदन किया कि अपील नोरती देवी द्वारा प्रस्तुत की गई थी दौरान अपील सुनवाई नोरती देवी का स्वर्गवास हो गया। जिसे वारिसान वर्तमान अपीलांट है। प्रस्तुत अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी के निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.07.2024 के विरुद्ध प्रस्तुत की थी। लेकिन अपीलांट उक्त अपील को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। इसलिए उक्त अपील विज्ञो कर रहे हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त अपील को आगे नहीं चलाये जाने से जरिये विज्ञोल दाखिल दफ्तर किये जाने के आदेश प्रदान करावें। अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 01 ने उक्त प्रार्थना पत्र पर अनापत्ति जाहिर की। अतः अपील अपीलांट आगे नहीं चलाये जाने के कारण जरिये विज्ञो खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलांट आगे नहीं चलाये जाने के कारण जरिये विज्ञो खारिज जाती है। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> | | |

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर


577

सी शंति प्रसाद गोडा पडा
ने अपील पेश कि अपील
कार जांच केकर पेशकी
पी शे. शंकर पर रिहटी

05/8/24

अपील कार जांच
रिपोर्ट हकल
पेश की
05/8/24

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर



न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर

केकड़ी/अपील डिक्री/टी.ए. संख्या1.72... /2024

नोरती पत्नी रामदेव जाति कुम्हार निवासी तहसील केकड़ी जिला केकड़ी।

बनाम

1. मूलचंद पुत्र श्री भूरा जाति माली निवासी करवा केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर
 2. झमकू पत्नि श्री गोकल जाति माली
 3. कमला पत्नी मिश्रीलाल जाति माली
 4. कमलेश पुत्र गोकल जाति माली
 5. बरदी देवी पत्नि रामलाल जाति कुम्हार
 6. मुकेश पुत्र श्री गोकल जाति माली
 7. बलराज मेहरचन्दानी पुत्र किशन चन्द्र जाति सिन्धी
 8. मनभर पुत्री श्री गोकल जाति माली
 9. रमेशचंद पुत्र श्री गोकल जाति माली
 10. विजय कुमार गोयल पुत्र सुखनाथ गोयल
 11. सीता पुत्री गोकल जाति माली
 12. सीमा पुत्री गोकल जाति माली
- समस्त निवासीगण केकड़ी तहसील केकड़ी जिला केकड़ी।
13. राजस्थान सरकार तहसीलदार केकड़ी जिला केकड़ी।
 14. उपपंजीयक महोदय, केकड़ी जिला केकड़ी।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
1955 विरुद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी,
केकड़ी जिला केकड़ी दिनांक 10.07.2024 राजस्व वाई
संख्या 50/2021 (2021/109)

नावती